



क्र./3059/शा.चि.म./स्था./2025

अम्बिकापुर, दिनांक 04.04.2025

Advertisement for Walk-In-Interview

—:00:—

छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक: एफ 3-53/2012/नौ/55-4 नया रायपुर, दिनांक 27/05/2016 के अनुपालन में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर हेतु स्वीकृत, रिक्त प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के चिकित्सा शिक्षकों/चिकित्सकों/रेसीडेंट चिकित्सकों/ट्यूटर/प्रदर्शक/अधिकारियों के रिक्त पदों को संविदा आधार पर भरने हेतु संस्था हित, मरीज हित व जन हित में, शासन द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए प्रत्येक कार्यदिवसों में प्रातः 10.30 बजे से सायं 04:00 से वॉक-इन-इन्टरव्यू आयोजित किया जा रहा है।

इस संस्था के विभिन्न विभागों आरक्षित/अनारक्षित वर्ग के चिकित्सा शिक्षकों, चिकित्सकों, सीनियर रेसीडेंट, जूनियर रेसीडेंट, प्रदर्शक/ट्यूटर एवं अन्य चिकित्सक/गैर-चिकित्सक प्रथम, द्वितीय श्रेणी के रिक्त पदों पर आरक्षण रोस्टर अनुसार संविदा नियुक्ति हेतु भारतीय चिकित्सा परिषद् के मापदण्ड की अहर्ता (अधिकतम आयु 70 वर्ष तक नियुक्ति मान्य होगी) रखते हों। इच्छुक उम्मीदवार वॉक-इन-इन्टरव्यू में स्वयं के व्यय पर उपस्थित हो सकते हैं।

रिक्त पदों की जानकारी एवं वॉक-इन-इन्टरव्यू में उपस्थित होने संबंधित आवश्यक जानकारी हेतु महाविद्यालय की वेबसाइट - www.gmcambikapur.co.in का अवलोकन कर सकते हैं अथवा महाविद्यालय के ई-मेल deanmedicalcollegesurguja@gmail.com अथवा दूरभाष 07774-299312 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

अधिष्ठाता

राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव
 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
 अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)



क्र./ 3060 /शा.चि.म./स्था./2025

अम्बिकापुर, दिनांक.04.04.2025

संविदा भर्ती हेतु उम्मीदवारों के लिए आवश्यक निर्देश

---:00:---

1. संस्था में रिक्त शैक्षणिक/अशैक्षणिक/चिकित्सक वर्ग के पदों हेतु शैक्षणिक अहर्ता, आवश्यक अनुभव एवं आयु-सीमा भारतीय चिकित्सा परिषद् नई दिल्ली एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देश मापदण्ड अनुरूप ही मान्य होंगे।
2. संविदा भर्ती हेतु रिक्त पदों की संख्या परिवर्तनीय है। पदों की संख्या आवश्यकतानुसार कम, ज्यादा अथवा विलोपित किये जा सकेंगे, जिस पर उम्मीदवारों की कोई दावा स्वीकार नहीं होगी, मान्य नहीं होगी।
3. इच्छुक उम्मीदवार वॉक-इन-इन्टरव्यू में स्वयं के व्यय पर (MBBS/BDS, PG, Certificate, Registration, Pan Card, Experience Certificate, Domicile Certificate, Caste Certificate and Relieving letter from previous institution, applicable etc.) दस्तावेजों एवं किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में पूर्व से नियुक्त उम्मीदवार अपने नियोक्ता प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र, सनिष्ठा प्रमाण-पत्र तथा अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों की मूलप्रति के साथ 02 नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज के फोटो के साथ संस्था के स्थापना कार्यालय में उपस्थित हो सकेंगे। उपरोक्त समस्त आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में अभ्यर्थी स्वयमेव अपात्र माने जायेंगे।
4. संविदा भर्ती हेतु प्रत्येक कार्यदिवस में स्कूटनी का कार्य प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक किया जायेगा। निर्धारित समयावधि के पश्चात् उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
5. शासकीय सेवा निवृत्त अथवा भूतपूर्व शासकीय सेवक भी नियमानुसार पात्र होंगे।
6. संविदा पर नियुक्त उम्मीदवार छत्तीसगढ़ शासन, संविदा भर्ती नियम 2012 यथा संशोधित नियम 2019 के अंतर्गत शासित होंगे तथा संविदा अवधि वर्क रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार बढ़ाई जा सकती है।
7. पुनरीक्षित समेकित संविदा वेतन एवं अन्य विशेष वेतन प्रतिमाह है, जिस पर शासकीय नियमानुसार टी.डी.एस. तथा वित्त विभाग के निर्देशानुसार अन्य कटौतियां किये जायेंगे।
8. संस्था हेतु स्वीकृत प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक का पद पदोन्नति पद है एवं सहायक प्राध्यापक, सीनियर रेसीडेंट, जूनियर रेसीडेंट, प्रदर्शक/ट्यूटर का पद सीधी भर्ती पद हैं, जिसके पदोन्नति/सीधी भर्ती की नियुक्ति आरक्षण रोस्टर अनुसार शासन द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जाता है, जिसकी प्रक्रिया पूर्ण कैलेंडर वर्ष में प्रक्रियाधीन रहती है। अतः उक्त रिक्त पदों की पूर्ति शासन द्वारा पदोन्नति/सीधी भर्ती के माध्यम से अथवा अन्य किसी माध्यम से करने पर संविदा सेवा नियम 2012 यथा संशोधित नियम 2019 के अनुपालन में 01 माह पूर्व सूचना अथवा 01 माह का वेतन देकर संविदा सेवा तत्काल समाप्त कर दी जायेगी। संविदा नियुक्ति 31 मार्च 2026 तक अथवा शासन द्वारा इस पद पर तदर्थ/नियमित नियुक्ति होने तक के लिए अथवा आरक्षित संवर्ग के उपर्युक्त उम्मीदवार की नियुक्ति होने तक अथवा अन्य कोई आदेश होने तक के लिये किये जायेंगे।
9. संविदा नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रीय/राज्य स्तर के किसी न्यायालय में दायर याचिका अथवा भविष्य में दायर होने वाले याचिका निर्णय में पारित आदेश/निर्णय के अध्यक्षीन रहेगी।
10. अधिक जानकारी हेतु महाविद्यालय की वेबसाइट - www.gmcambikapur.co.in का अवलोकन कर सकते हैं अथवा महाविद्यालय के ई-मेल deanmedicalcollegesurguja@gmail.com अथवा दूरभाष 07774-299312 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

अधिष्ठाता

राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव
 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
 अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)



क्र./ 3061 /शा.चि.म./स्था./2025

अम्बिकापुर, दिनांक. 04.04.2025

एकमुस्त पुनरीक्षित संविदा वेतन

---:00:---

छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक: एफ 3-76/2024/55 नवा रायपुर, दिनांक 11/09/2024 के तहत अनुसूचित क्षेत्र हेतु प्रदाय पुनरीक्षित समेकित संविदा वेतन एवं कलेक्टर, जिला-सरगुजा छ.ग. द्वारा देय जिला खनिज न्यास (DMF) मद से प्रोत्साहन भत्ता विवरण पदवार निम्नानुसार देय है :-

क्र.	पदनाम	शासकीय संविदा वेतन	स्वशासी मद से वेतन	जिला खनिज न्यास (DMF) मद से प्रोत्साहन भत्ता	कुल समेकित वेतन (संविदा वेतन + स्वशासी मद से वेतन + DMF प्रोत्साहन भत्ता)
1.	Professor	2,25,000/-	--	60,000/-	2,85,000/-
2.	Associate Professor	1,85,000/-	--	40,000/-	2,25,000/-
3.	Assistant Professor	1,25,000/-	--	30,000/-	1,55,000/-
4.	Senior Resident	95,000/-	--	--	95,000/-
5.	Demonstrator (PG)	95,000/-	--	--	95,000/-
6.	Casualty Medical Officer	50,000/-	50,000/-	20,000/-	1,20,000/-
7.	Junior Resident	30,000/-	33,000/-	--	63,000/-
8.	Tutor	30,000/-	23,000/-	--	53,000/-

अधिष्ठाता

राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव
 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
 अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)